संख्या- 498 /33-3-2025-33-3099/117/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक:** 23 **मई**, 2025

विषय:- जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गयी है। प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के स्थापना का कार्य कराया गया है ग्राम सचिवालय द्वारा स्थानीय समस्याओं का निराकरण, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। ग्राम सचिवालय के सफल संचालन हेतु समस्त ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक/एकाउन्टेण्ट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर की तैनाती की गई है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है जिसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से केयर टेकर की तैनाती की गई है। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं केयर टेकर को मानदेय ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाता है जिसके कारण प्रदेश की कम आबादी की ग्राम पंचायतों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2- उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 57,691 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 तक आबादी वाली 252 ग्राम पंचायतें हैं तथा 1001 व उससे अधिक किन्तु 1500 तक आबादी वाली 11,835 ग्राम पंचायतें है। इन ग्राम पंचायतों में विकास, अनुरक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त की धनराशि प्रदान की जाती है। पंचायतों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को भार देते हुए किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में वित्त आयोग की धनराशि अन्तरित किये जाने के कारण कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु काफी कम

Amit Srivastava

धनराशि प्राप्त होती है, जिसके कारण आवश्यक व्यय यथा ग्राम प्रधान का मानदेय, बैठक, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय पर व्यय, शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयको का भुगतान, ओ0डी0एफ0 प्लस के कार्यों, पेयजल योजनाओं/हैण्डपम्प का रख-रखाव एवं पशुओं के चारे की व्यवस्था इत्यादि के उपरान्त काफी कम धनराशि अथवा शून्य धनराशि विकास एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु अवशेष बचती है। भारत सरकार द्वारा पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधन से आय अर्जित करने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है, उक्त हेतु ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना लागू किया जाना है।

3- जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतें जिन्हें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कम धनराशि प्राप्त हो रही है, ऐसी ग्राम पंचायतों को ओ0एस0आर0 (स्वयं के संसाधन से आय) अर्जित करने पर पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि राज्यांश मद में प्रदान किया जायेगा।

4- पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना मद में ग्राम पंचायतों को धनराशि गतवर्ष में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त ओ0एस0आर0 के आधार पर आवंटित की जायेगी। ओ0एस0आर0 (स्वयं की संसाधन से आय) की गणना ग्राम पंचायतों द्वारा जनसेवा केन्द्र शुल्क, कूड़ा कचरा संग्रहण, खाद बिक्री, आर0 आर0सी0 सेन्टर से आय, जल शुल्क, तालाब के पट्टे/नीलामी इत्यादि हेतु राजस्व विभाग से प्राप्त आय, दुकानों/शॉपिंग काम्पलेक्स के किराये से प्राप्त आय, ग्राम पंचायत के अन्य संसाधनों से प्राप्त आय के अतिरिक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-37 में वर्णित करों एवं शुल्क के आरोपण के आधार पर आय की गणना की जायेगी। उक्त आय ग्राम पंचायत के ओ0एस0आर0 खाते/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के संचालन एवं अनुरक्षण निधि खाते में प्रदर्शित होनी चाहिए। उक्त खातों में प्राप्त ब्याज की भी गणना ओ0एस0आर0 में की जायेगा।

5- उक्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त ओ0एस0आर0 का परीक्षण एवं पात्रता निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

- जिलाधिकारी — अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी — उपाध्यक्ष
- जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य-सचिव
- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें — सदस्य
- संबंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी(पं0) — सदस्य

6- ग्राम पंचायतों को पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना मद में धनराशि जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदान की जायेगी। उक्त हेतु जनपद स्तरीय

Amit Srivastava

समिति द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों एवं सचिवों के साथ एक बैठक का आयोजन भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना से आच्छादित 1500 तक आबादी वाली समस्त ग्राम पंचायतों को गत वित्तीय वर्ष में स्वयं के संसाधन से अर्जित आय (OSR) की पांच गुणा धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी।

7- (i) ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष में पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना मद में हस्तांतरित धनराशि व्यपगत (लैप्स) नहीं होगी।

(ii) पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग के निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा विकसित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर नई योजना जनरेट करते हुए प्रधान एवं सचिव द्वारा डोंगल के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) ग्राम पंचायतों को धनराशि राज्य वित्त आयोग के खाते में हस्तांतरित की जायेगी जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना मद में रिसिप्ट लेते हुए व्यय किया जायेगा।

(iv) पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना धनराशि का व्यय राज्य वित्त के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों पर ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय ग्राम प्रधान व अन्य के मानदेय पर नहीं किया जायेगा।

(v) ग्राम पंचायतों में स्वयं के संसाधन से प्राप्त वास्तविक आय की जानकारी हेतु ओ0एस0आर0 खातों को लिंक करते हुए एक पोर्टल/ऐप का निर्माण कराया जायेगा। पोर्टल/ऐप के निर्माण/संचालन पर आने वाला व्यय निदेशालय स्तर पर राज्य वित्त आयोग के 01.05 प्रतिशत धनराशि से वहन किया जायेगा।

जनपदों द्वारा उक्त पोर्टल का प्रयोग ग्राम पंचायतों के ओ0एस0आर0 अर्जित करने की जानकारी हेतु किया जायेगा किन्तु गणना ओ0एस0आर0 खाते में वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जायेगी।

(vi) प्रस्तावित धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा आहरित करके ग्राम पंचायतों में कोषागार के माध्यम से अंतरित की जायेगी।

8- त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग एवं स्वयं के संसाधनों से प्राप्त आय के माध्यम से ग्राम पंचायतों में विकास, अनुरक्षण एवं अन्य कार्य सम्पादित करने की व्यवस्था है। निदेशक, पंचायतीराज छठवें राज्य वित्त आयोग में कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को योजनान्तर्गत वांछित, अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने हेतु यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छठवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर योजना हेतु वांछित धनराशि इस आयोग की धनराशि से व्यय की जायेगी इसके लिए पृथक से बजट प्राविधान नही किया जायेगा।

Amit Srivastava

9- ग्राम पंचायतों के ओ0एस0आर0 में वृद्धि हेतु राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या-04/2018/375/एक-1-2018-20(10)/2016 दिनांक 09.04.2018 में विहित व्यवस्थानुसार तालाबों आदि के पटटों/आवंटन से प्राप्त धनराशि ग्राम निधि खाते में ससमय जमा करायेंगे।

10- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/राजस्व विभाग/नगर विकास विभाग /लोक निर्माण विभाग।
3. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
10. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Amit Srivastava